Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal have announced industrial policies after July, 1991.

उत्तर प्रदेश में उद्योग

586. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में 1989 तथा 1991 के दौरान स्थापित किए गए बड़े, मध्यम, लघु तथा अति लघु उद्योगों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) निजी तथा संयुक्त क्षेत्र में उनकी अलग-अलग संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) आशय पत्रों के लिए अप्रैल, 1991 के अंत तक लम्बित पड़े प्रस्तावों, 1991-92 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों तथा 1 मार्च, 92 को लम्बित प्रस्तावों की संख्या कितनी-कितनी है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमति कृष्णा साही): (क) उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित भारी, मझोले तथा कुटीर उद्योगों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	1989-90	1990-91	1991-92
1. भारी तथा मझोले उद्योग	50	159	155
2. लघु उद्योग	26039	30246	33046
3. कुटीर उद्योग	24308	18504	6068

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान दो उद्योग तथा 1991-92 में एक उद्योग उत्तर प्रदेश में संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किया गया था। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग केवल निजी क्षेत्र में स्थापित किये गये थे।

(ग) 1989 से 1993 (जून तक) के दौरान उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये 507 आशय पत्र मंजूर किये गये थे। वर्ष 1991, 1992 और 1993 (जून तक) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिये 345 औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त हुए थे। 1-7-93 की स्थिति के अनुसार इन 345 आवेदनों में से 124 आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही थी।

उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पेश संकट

587. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रमों को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमति कृष्णा साही): (क) और (ख) 31-3-1992 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के 17 ऐसे उद्यम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इनमें से सरकारी क्षेत्र के 10 उद्यम घाटा उठा रहे हैं और इन्हें रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रुग्णता की परिभाषा के तहत रुग्ण घोषित किया गया है और उनमें से 9 उद्यमों को नवीकरण/पुनर्स्थापना सम्बन्धी योजनाएं बनाने हेतु औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में सीमेन्ट का उत्पादन

588. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीमेन्ट फैक्टरियां अपनी उत्पादन क्षमता का तीस प्रतिशत उत्पादन ही कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उनकी पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या प्रयास किए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमति कृष्णा साही): (क) उत्तर प्रदेश के चार सीमेंट कारखानों में से दो का क्षमता उपयोग 30% से अधिक है। 1992-93 और चालू वर्ष के दौरान चार संयंत्रों का वास्तविक उत्पादन और क्षमता उपयोग दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ख) क्षमता के कम उपयोग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रबंधकीय तथा वित्तीय समस्याएं, पुरानी प्रौद्योगिकी आदि।

(ग) क्षमता के अधिकाधिक उपयोग के लिए कारगर उपाय करना प्रबंधकों का कार्य है। तथापि सरकार कोयले के पर्याप्त तथा रेलवे माल डिब्बों की आपूर्ति सुनिश्चित करके सीमेंट संयंत्रों को सभी प्रकार की आधारभूत सहायता दे रही है।

विवरण

1992-93 और 1993-94 (अप्रैल-जून) के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े सीमेंट एककों का उत्पादन और क्षमता उपयोग निम्न प्रकार रहा है :—

सीमेंट संयंत्र का नाम	1992-93		1993-94 (अप्रैल-जून)	
	सीमेंट उत्पादन (प्रतिशत)	क्षमता उपयोग (%)	सीमेंट उत्पादन	क्षमता उपयोग (%)
उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम चुनार	5.27	31.37	2.12	50.34
उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम चुर्क	0.86	18.11	0.20	16.58
उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम डल्ला	0.39	9.03	0.20	18.92
डायमन्ड सीमेंट झांसी	6.19	123.80	1.82	145.80
योग	12.71	41.17	4.34	56.21

लघु उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक परामर्शदायी सेवा

589. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों की स्थापना एवं उनके विस्तार के संबंध में आर्थिक परामर्शदायी सेवाओं का प्रावधान करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा गुजरात में इस संबंध में क्या कार्यवाहियां की गई हैं, और

(ग) इन सुविधाओं के परिणामस्वरूप गत वर्षों में इन राज्यों में लघु उद्योगों तथा इनमें कार्यरत मजदूरों की संख्या में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) राज्य औद्योगिक रुपरेखाएं तैयार करना, जिला औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण करना, बाजार सर्वेक्षण करना, परियोजना रुपरेखाएं तैयार करना, रुग्ण एककों को पुन: चालू करने के लिए सहायता देना, आधुनिकीकरण संबंधी अध्ययन करना आदि आर्थिक परामर्शदायी सेवाओं की नियमित विशेषताएं हैं, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात राज्य सहित देश में लघु उद्योग सेवा संस्थानों और उनकी शाखाओं द्वारा लघु एककों को उपलब्ध करायी जाती है। 4 राज्यों में पिछले 3 वर्षों के दौरान उद्यमियों को उपलब्ध कराये गये आर्थिक परामर्श इस प्रकार है:—

उद्यमियों की संख्या

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93
उत्तर प्रदेश	1329	1746	823
मध्य प्रदेश	6422	6031	10643*
बिहार	4514	1557	1475
गुजरात	273	66	7704*

*तकनीकी, प्रबंधकीय तथा अन्य सहायता के क्षेत्र में उपलब्ध करायी गयी सेवाओं सहित।

(ग) पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात के राज्य उद्योग निदेशालयों में पंजीकृत तथा लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) के कार्य क्षेत्र में आने वाले एककों की संख्या में हुई वृद्धि इस प्रकार है:—

राज्य	पंजीकृत (सीडो) एककों की संचयी संख्या		
	31-12-90	31-12-91	31-12-92
उत्तर प्रदेश	185566	217376	247907
मध्य प्रदेश	160896	172545	184245 (अ)
बिहार	71403	76770	83782 (अ)
गुजरात	78441	86220	94879

(अ) अनंतिम

श्रमिकों की संख्या के राज्यवार वार्षिक अनुमान नहीं रखे जाते हैं। तथापि 1987-88 को संदर्भ वर्ष मानते हुए पंजीकृत लघु औद्योगिक एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना के अनुसार, इन राज्यों में पंजीकृत लघु एककों में कुल रोजगार इस प्रकार था:—

उत्तर प्रदेश	- 348909
मध्य प्रदेश	- 158808
बिहार	- 181781
गुजरात	- 276955

लघु क्षेत्र में एककों की संख्या तथा श्रमिकों की संख्या में वृध्दि अथवा कमी अनेक कारणों से होती है और आर्थिक परामर्शदायी सेवा की व्यवस्था इनमें से एक है।